उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उद्योग भवन, रिंग रोड नं0 1, तेलीबांधा, रायपुर

फोन नं0 (0771) 2583652–54, फैक्स नं0 2583651

email address – dtic-directorate.cg@gov.in

(औद्योगिक नीति प्रकोष्ठ)

क्रमांक–60 / औ.नीति / 2015 / 13401 – 27. रायपुर, दिनांक 16 JUL 2018

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
समस्त ।

विषयः– औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत "गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान" की अधिसूचना में संशोधन संबंधी अधिसूचना प्रेषण बाबत् ।

उपरोक्त विषय में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20–82 / 2015 / 11 / (6), दिनांक 19.06.2018 द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2014" में प्रमाणीकरण के अन्तर्गत "जेड प्रमाणीकरण" को भी सम्मिलित किया गया है, जिसकी प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डी.आर. वाधवानी)
संयुक्त संचालक

पृ0 क्रमांक–60 / औ.नीति / 2015 / 13428 – 34. रायपुर, दिनांक 16 JUL 2018

प्रतिलिपिः–

1– निज सहायक, संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ, रायपुर ।

2– प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर ।

3– अपर संचालक एवं समस्त संयुक्त संचालक, उप संचालक / सहायक संचालक, मुख्यालय, रायपुर ।

4– संयुक्त संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर ।

5– कक्ष प्रभारी, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान कक्ष, मुख्यालय, रायपुर । को एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6– श्री शीतल वर्मा, सहायक वर्ग–3, उद्योग संचालनालय, रायपुर की ओर उक्त अधिसूचना की साफ्ट कॉपी विभाग के वेबसाईट पर गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की मूल अधिसूचना के साथ अपलोड हेतु ।

7– राज्य के औद्योगिक संगठन ....
....

को सूचनार्थ व संघ के समस्त सदस्यों को वितरण हेतु ।

संयुक्त संचालक

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

——0——

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20–81/2015/11/(6) नया रायपुर दिनांक 24-09-2015

राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन देने हेतु अधिसूचित "गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना" के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 नवंबर, 2014 से प्रभावी **"छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2014"** निम्नानुसार लागू करता है :–

1 **परिचय :–**

राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योगों की गुणवत्ता बढ़ाने व उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना पुनः औद्योगिक नीति 2014–19 में लागू कर इस योजना में आई.एस.ओ. श्रेणी के अतिरिक्त बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क एवं यूरो मानक व अन्य प्रमाणनों को भी सम्मिलित किया गया है । इस योजना का लाभ केवल नवीन एवं विद्यमान उद्योगों को है ।

2 **परिभाषाएं :–**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी, निःशक्त उद्यमी, महिला उद्यमी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, "कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पद पर कार्थरत कर्मचारियों" तथा "राज्य के मूल निवासी" एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वही होंगी जो औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 पर अधिसूचित की गई है ।

3 **पात्रता :–**

(1) औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि दिनांक 01.11.2014 से 31.10.2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उपाबंध–2 में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" के तहत आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000, आई.एस.ओ.–22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक एवं अन्य समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर अनुदान की पात्रता होगी ।

(2) औद्योगिक नीति 2014–19 के लागू होने के पूर्व जिन विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया है किन्तु गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" के तहत आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000, आई.एस.ओ.–22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय

प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर अनुदान की पात्रता होगी बशर्ते कि औद्योगिक नीति 2014–19 के संतृप्त श्रेणी के उद्योगो की सूची में सम्मिलित न हो ।

(3) उद्योग में ''गुणवत्ता प्रमाणीकरण'' प्राप्त करने की दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करना होगा।

सेवा उद्यमों यथा लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण, फिल्म उद्योग से संबंधित प्रकरणों में वाणिज्यिक रूप से कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से उपरांकित शर्त का पालन करना होगा।

(4) औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अथवा किसी अन्य मंत्रालय/सिडबी बैंक से गुणवत्ता प्रमाणीकरण के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें पात्रता नहीं हागी ।

(5) गुणवत्ता प्रमाणीकरण में सम्मिलित समस्त प्रमाणीकरण प्रमाण पत्रों पर पृथक–पृथक अनुदान की पात्रता होगी ।

(6) जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम. पार्ट –1 / आई.ई.एम./ आशय पत्र / औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009–2014 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो। उन्हें औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–2 में दर्शायें गये अनुसार उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन राज्य शासन द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत करने एवं ग्राहय होने पर अनुदान की पात्रता होगी।

(7) गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(8) लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज पर निवेशकों के वर्ग हेतु निर्धारित दर के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन कंडिका 6 ''अनुदान की मात्रा'' शीर्षक के तहत् अनुदान की पात्रता होगी ।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 20–120/2009/11/(6) दिनांक 6 जनवरी 2012 के मापदण्ड लागू होंगे।

(9) औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित समस्त गतिविधियों (फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, की स्थापना तथा फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित समस्त गतिविधियों पर सामान्य प्रावधानित अनुदान की पात्रता कंडिका 5 ''अनुदान की मात्रा'' शीर्षक के अनुरूप होगी ।

(10) भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड या भारत सरकार/राज्य शासन की अधिकृत एजेन्सी से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

4 **<u>प्रक्रिया व अधिकार :–</u>**

4.1– औधोगिक इकाईयों को उपाबंध–1 अनुसार निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पूर्ण आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति "उपाबंध– 4" में निर्धारित प्रारूप पर दी जावेगी, जिसमें आवेदन के पंजीयन

क्रमांक का भी उल्लेख होगा। अपूर्ण आवेदन एक बार में ही कमियां बताते हुए वापिस किये जावेंगे व प्रकरण पूर्ण होने के उपरांत आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी।

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट–1 /आई0ई0एम0 /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) "उपाबंध–3" अनुसार निर्धारित प्रारूप पर व्यय से संबंधित चार्टर्ड एकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र।

(4) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र– आई0एस0ओ0 9000/आई0एस0ओ 14000 / आई0एस0ओ 18000 आई.एस.ओ.–22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के समतुल्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति

(5) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों से संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख ।

4.2– पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत ई0एम0 पार्ट–2 गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात, संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उपाबंध 4 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी ।

4.3– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्त करने का दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक या अधिसूचना लागू करने का दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो से एक वर्ष के भीतर पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान हेतु आवेदन किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक नीति की समयावधि की समाप्ति/नीति की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् स्वीकार नहीं होंगे। यदि किसी इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समयावधि औद्योगिक नीति की समाप्ति/नीति की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् आती है, तो संबंधित इकाई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष मानी जावेगी।

4.4– मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण "उपाबंध 5" के अनुसार कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध–6" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा ।

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि 45 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख आवश्यक होगा ।

4.5– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

4.6– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

4.7– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेलटमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

4.8– बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

4.9– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का आबंटन अग्रिम रूप से भी किया जा सकेगा ।

4.10– राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/ उसंचा–रा/ 2005/ 9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी ।

5 अनुदान की मात्राः–

5.1 आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000, आई.एस.ओ. –22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु सामान्य वर्ग के उद्यमियों को किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्योगों को किये गये व्ययों का 55 प्रतिशत एवं महिला उद्यमी/भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक /नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवार/निःशक्त एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी ।

5.2 अधिकतम सीमा सामान्य वर्ग के उद्यमियों हेतु रू. 1.00 लाख, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्योगों हेतु रू. 1.05 लाख एवं विकलांग/ महिला उद्यमी/ भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक /नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवार/निःशक्त हेतु रू. 1.10 लाख तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु रूपये 1.25 लाख (प्रत्येक प्रमाणीकरण) हेतु होगी ।

5.3 लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज पर भी उपरोक्तानुसार निवेशकों के वर्ग हेतु निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन अनुदान देय होगा।

5.4 औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर फिल्म स्टूडियों, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना तथा फिल्म प्रोसेसिंग से संबधित गतिविधियों पर भी निवेशक के वर्ग हेतु निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन अनुदान देय होगा।

5.5 औद्योगिक नीति 2014–19 की कंडिका 15.20 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को में नवीन भू– आवंटन प्राप्त करने वाले उद्योगों को उपरोक्त से 10 प्रतिशत अधिक दर से अनुदान प्राप्त होगा एवं अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी।

गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है– आवेदन शुल्क /अंकेक्षण शुल्क/ निर्धारण शुल्क/ वार्षिक शुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का समावेश व्ययों की गणना में नहीं किया जावेगा)।

6 **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की वसुली :–**

6.1– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को स्वीकृत/वितरित हो जाने के पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की जा सकेगी ।

6.2– उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी ।

6.3– स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की राशि भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

6.4– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 3(3) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है, अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी।

6.5– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक से वर्ग से संबंधित प्रमाण–पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

6.6– उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

6.7– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।

6.8– उपर्युक्त बिन्दु 6.1 से 6.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे ।

7 **अपील /वाद :–**

7.1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी ।

7.2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

7.3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

7.4– अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।

7.5– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

8 **अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–**

(1) औद्योगिक इकाई को गुणवत्ता अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

(2) उपरोक्त (1) की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 3(3) में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

9 **स्वप्रेरणा से निर्णय :–**

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

10 **कार्यकारी निर्देश :**

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग सक्षम होंगें । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

11 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

11 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

12 **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24.9.15

(श्रीमति शारदा वर्मा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

"उपाबंध–1"

(नियम 41)

(छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2014 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –
2– निवेशक का वर्ग –
3– फैक्ट्री स्थल–
स्थान –
विकास खंड –
जिला –
4– ई0एम0पार्ट–1 एवं ई0एम0पार्ट–2 क्रमांक
5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक–
4.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं
4.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –
4.3 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –
6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने संबंधी विवरण–
7– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु किया गया व्यय–
8– क्लेम राशि
9– **रोजगार–**

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स			
योग			

स्थान :
दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

संलग्नः–(1) ई.एम. पार्ट–1
(2) ई.एम. पार्ट–2
(3) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र
(4) गुणवत्ता प्रमाणीकरण पत्र
(5) निवेशक के वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र।

शपथ पत्र

मै....................................... आत्मज................................. प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री................... में स्थित है व ई0एम0पार्ट–1 कमांक ....दिनांक ....एवं ई0एम0पार्ट–2 कमांक..............................दिनांक .... एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................. दिनांक .... है, निम्नानुसार शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ –

1– औद्योगिक इकाई ....द्वारा आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000/आई.एस.ओ.–22000 श्रेणी/बी.आई.एस. प्रमाणीकरण/ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.)/ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण/एगमार्क/यूरो मानक या अन्य प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार /राज्य शासन/ वित्तीय संस्थाओं /बैंकों की किसी योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्त नहीं किया है

3– औद्योगिक इकाई द्वारा आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000, आई.एस.ओ.–22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य प्रमाणीकरण प्राप्त उपरांत भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही किया जावेगा ।

4– यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" प्राप्त करने के दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल, कुशल एवं प्रशासकीय/प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय निर्धारित 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांक:

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

"उपाबंध– 2"

औद्योगिक नीति 2014–19 का परिशिष्ट–2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

(1) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग

(2) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(3) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(4) आरा मिल (सॉ मिल)

(5) लेदर टैनरी

(6) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)

(7) किसी भी उत्पाद की रि–पैकिंग

(8) मिनरल वाटर

(9) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(10) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(11) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग / ग्राईडिंग / पलवराइजिंग

(13) स्टोन क्रेशर / गिट्टी निर्माण

(14) स्पंज आयरन

(15) क्लिंकर

(16) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग

(2) हालर मिल

(3) मुरमुरा मिल

(4) राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट

(5) खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई) / रिफाईनरी

(6) मिनी सीमेंट प्लांट

(7) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप – संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

"उपाबंध–3"

(नियम 4.1 (3)

(गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबंधित किये गये व्ययों से संबंधित प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर, मूल प्रति में)

1– औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका ई0एम0पार्ट–1 कमांक ....दिनांक ....एवं ई0एम0पार्ट–2 कमांक.................. ....दिनांक ....एवं/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................ है, ने गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र .... प्राप्त किया है जिस पर दिनांक.........................तक किया गया व्यय रूपये................................(अक्षरों में).......................... निम्नानुसार शपथ पूर्वक प्रमाणित किया जाता है ।

क0	विवरण गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किया गया व्यय	प्रमाणन एजेंसी/ संस्था जिसे भुगतान किया गया है	व्यय की गई राशि	भुगतान की गयी राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1	आवेदन शुल्क			
2	अंकेक्षण शुल्क			
3	लायसेंस शुल्क			
4	प्रशिक्षण व्यय.			
5	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6	गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति शुल्क			
7	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान

दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

सील

हस्ताक्षर

पंजीयन पत्र क्रमांक

"उपाबंध–4"

(नियम 4.2)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

मेसर्स .... पता.. .... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2014** .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी).. को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय सील

प्रति,

....
....
....

"उपाबंध 5"

(नियम 4.3)

निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –

2– फैक्ट्री स्थल –

स्थान –

विकास खंड –

जिला –

3– ई0एम0पार्ट–1 कमांक ....दिनांक ....एवं ई0एम0पार्ट–2 कमांक..... ....दिनांक .... /

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक–

4.1 उत्पाद

4.2 वार्षिक उत्पादन क्षमता

4.3 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –

4.4 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –

5– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी विवरण–

6– उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है ।

7– **रोजगार–**

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स			
योग			

8– औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये गुणवत्ता प्रमाणीकरण .... पर की गई व्यय राशि ....में रू.................... मान्य है । अमान्य की गई राशि............... है व उसके कारण निम्नानुसार है :–

1–

2–

3–

4–

9– अभिमत / अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर
नाम
पद

स्थान :
दिनांक

उपाबंध–6

(नियम 4.4)

गुणवत्ता प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक .... के अन्तर्गत)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2014** के नियम कमांक "5.4" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (आई0एस0 9000/ आई0एस0ओ0 14000/ आई0एस0ओ0 18000/ आई.एस.ओ.–22000 श्रेणी/ बी. आई.एस. प्रमाणीकरण/ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.)/ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण/ एगमार्क/ यूरो मानक या अन्य प्रमाण पत्र)** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का संगठन

3– उद्यमी का वर्ग :

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर किया गया अनुमोदित व्यय

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –
मांग संख्या– ....

....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक ....

क्रमांक एफ–20–81/2015/11/6, चूंकि राज्य शासन को ''छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016'' के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित ''गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.09.2015 द्वारा जारी **''छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2014''** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 3 में (10) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जावे, अर्थात्

(11) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की पात्रता होगी।

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 4 में 4.1(5) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा 4.1(6) जोड़ा जावे, अर्थात्

(6) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में 5.5 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जावे, अर्थात्

5.6 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001–06/औद्योगिक नीति 2004–09/ औद्योगिक नीति 2009–14/ औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है अथवा आंशिक रूप से प्राप्त होने पर तो बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान में से शेष रहा अनुदान उपरोक्त पैरा 5 की कंडिका 5.1, 5.2 एवं 5.5 के अनुसार दिया जावेगा किन्तु यह औद्योगिक नीति 2014–19 में इस अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001–06/औद्योगिक नीति 2004–09/ औद्योगिक नीति 2009–14/ औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान स्वीकृत करने में केवल नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमतः पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा।

5.7 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001–06/औद्योगिक नीति 2004–09/औद्योगिक नीति 2009–14/औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत कंडिका 5.6 अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(चार) बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में उक्त अधिसूचना दिनांक 24.09.2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के. छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ–20–81/2015/11/6 नया रायपुर दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, रायपुर
   कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग